झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 04 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रसेनजीत सेन। क्रॉस रोड नं0-5, बागुनहातु, जमशेदपुर, बारीडीह कॉलोनी।

DISPOSED 22/07/2022.

बनाम

प्रतिवादी 1. DSO, पूर्वी सिंहभूम। 2. BSO, जमशेदपुर 3. PDS विक्रेता श्री महेश साव (वन)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्त्ता श्री प्रसनजीत सेन, क्रॉस रोड नं0–05, बागुनहातु, जमशेदपुर, बारीडीह कॉलोनी, पूर्वी सिंहभूम, राशनकार्ड सं0–202005611427 का शिकायत वॉट्सऐप के माध्यम से आयोग के कम्प्लेन नं0 पर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध खराब राशन दिये जाने, कम राशन दिये जाने तथा अभद्र व्यवहार करने आदि का आरोप लगाया है। प्राप्त शिकायत–पत्र को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। सुनवाई की तिथि दिनांक–17.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु सम्बन्धित जनवितरण प्रणाली विक्रेता, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नोटिस भेजा जाय। सूचना शिकायतकर्त्ता को देते हुए नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में ऑनलाईन सुनवाई में उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जाय। Ranjan 31/01/2022. सुनवाई की तिथि 28/02/2022 को रखी जाए। Ranjan 01/02/2022	

D:\Premlata\Final Court Order.docx13

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	C.S.C के द्वारा सहमति नहीं मिलने की वजह से अपीलकर्ता को V.C / whatsapp के माध्यम से सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाए। Rajan 14/02/2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–28.02.2022 को वाद संख्या–04/2022 के मामले में सुनवाई की गई।

1. अपीलकर्त्ता श्री प्रसेनजीत सेन, कॉस रोड नं0–05, बागुनहातु, जमशेदपुर, बारीडीह कॉलोनी, पूर्वी सिंहभूम ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित रहा।
2. प्रथम पक्ष श्री प्रसेनजीत सेन का कहना है कि उनका राशन कार्ड डीलर द्वारा रख लिया गया है। उनके राशन कार्ड में 9 सदस्य का नाम था। लेकिन 6 लोगों का नाम राशन कार्ड से डीलर ने काट दिया है। अब राशन कार्ड में 3 सदस्य का ही नाम बचा है। उनके दादा जी का नाम हरी सेन है, उनका निधन हो गया है, उनका नाम काटने के लिए अगस्त में ही सूचित किया है। लेकिन उनको नवम्बर माह तक उनके नाम से राशन दिया गया है। जनवरी माह में 50 Kg चावल 40 Kg गेहूँ दिया गया है। फरवरी माह में राशन 4 सदस्यों का ही मिला है। यह भी बताया गया कि डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है और धमकी भी दिया जाता है।
3. उक्त मामले में द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम कि पत्रांक–185 दिनांक–19.02.2022 आयोग के प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया गया। जिसमें शिकायतकर्त्ता द्वारा लिखित रूप से जनवितरण प्रणाली वितरक के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत से इनकार किये जाने का उल्लेख है। साथ ही जनवितरण प्रणाली वितरक एवं अपीलकर्त्ता के बीच बातचीत संबंधी एवं सी0डी0 का भी उल्लेख है, जिसमें 2000 रूपये लेनदेन की बात सामने आने एवं शिकायतकर्त्ता द्वारा भयादोहन करने के उद्देश्य से शिकायत दर्ज करने का उल्लेख है।
4. आहार पोर्टल पर जाँच में यह बात सामने आई कि अपीलकर्त्ता के राशन कार्ड सं0–202005611427 से माह जनवरी में 9 व्यक्तियों

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	का राशन उठाव हुआ है, जबकि माह फरवरी में मात्र 4 व्यक्तियों का। साथ ही वर्तमान में शिकयतकर्त्ता के राशन कार्ड में मात्र–03 सदस्य ही है। उक्त तथ्यों के अवलोकनोपरान्त निम्न आदेश दिये जाते है:– 1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन में उल्लेखित CD आयोग के समक्ष पेश किया जाय। 2. माह जनवरी तक अपीलकर्त्ता के राशन कार्ड में कुल 9 सदस्य थे, जबकि फरवरी माह में मात्र–03 सदस्य है, क्यो? 3. शिकायतकर्त्ता के राशन कार्ड से परिवार के सदस्यों का नाम किस परिस्थिति में हटाया गया? जबकि सभी सदस्यों का आधार सिडिंग किया हुआ था। अतः आदेशित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–23.03.2022 को आयोग के न्यायलय कक्ष में उपस्थित होकर उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखेंगे। इस आशय का नोटिस निर्गत किया जाय। अपीलकर्त्ता श्री प्रसेनजीत सेन, कॉस रोड नं0–05, बागुनहातु, जमशेदपुर, बारीडीह कॉलोनी, पूर्वी सिंहभूम ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित से उपस्थित हो। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–23.03.2022 को निर्धारित की जाती है। 28.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (डा0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 07/04/22 को तिथि निर्धारित 28/03/22	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–07.04.2022 को वाद सं0–04/2022 के मामले में सुनवाई की गईः–

अपीलकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन, क्रॉस रोड नं0–05, बागुनहातु, जमशेदपुर, बारीडीह कॉलोनी, पूर्वी सिंहभूम ऑनलाइन व्हाट्सएप विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष से श्री कृष्ण प्रकाश सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर उपस्थित हुए।

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा शिकायकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन के घर स्वयं जाकर जांच की गई। जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं सी.डी. कैसेट भी प्रस्तुत की गई।

शिकायतकर्ता के शिकायत के अनुसार उनकी तीन शिकायतें थीं। शिकायतकर्ता के राशन कार्ड में 9 व्यक्तियों का नाम था। शिकायतकर्ता के दादा जी की मृत्यु के पश्चात माह नवंबर 2021 में प्राप्त आवेदन के आलोक में सदस्यों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया था। परन्तु बाद में ऑनलाईन आवेदन के आलोक में 4 सदस्यों का नाम जोड़ दिया गया है। इस प्रकार उक्त राशन कार्ड में वर्तमान में 7 व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया गया है। शिकायतकर्ता को पूर्व का बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है।

मृत व्यक्ति के नाम से जो राशन का उठाव हुआ उसमें शिकायतकर्ता एवं डीलर की भी संलिप्तता रही है। डीलर ने इसकी सूचना विलम्ब से कार्यालय को दी है। अतः उनमें पहले का राशन जो उसके द्वारा जानबूझकर वितरित किया गया है सरकारी दर से डीलर से वसूल किया जाय।

उक्त तथ्यों के अवलोकनोपरान्त निम्न आदेश दिये गयेः–

1. शिकायतकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन ने मृत पिता के नाम पर राशन कार्ड से राशन का उठाव किया गया है। जिसमें शिकायतकर्ता एवं डीलर की मिलीभगत रही है। अतः उसकी वसूली शिकयतकर्ता एवं डीलर दोनों से की जाय। सरकारी दर से वसूली करके छायाप्रति आयोग कार्यालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेशित किया गया कि पूर्व से सूचना देकर शिकायतकर्ता के घर दोबारा जाकर जांच की जाए। अगर राशन कार्ड में अंकित व्यक्ति उनके घर पर हों तो पूछ–ताछ कर नियमानुसार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाय अन्यथा अलग से श्रीमती सुलेखा सेन के नाम से राशन कार्ड निर्गत करेंगे।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.04.2022 को निर्धारित की जाती है।

7.4.22

(शबनम परवीन)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आज दिनांक–28.04.2022 को वाद सं0–04/2022 के मामले में सुनवाई की गईः–

अभिलेख उपस्थापित।

मामले में दिनांक–07.04.2022 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–10.06.2022 तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को आदेशित किया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–14.06.2022 को निर्धारित की जाती है। एतद् संबंधी नोटिस निर्गत किया जाय।

18.5.22

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

19/05/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। डिजिटल माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन का कहना है कि उनके राशन कार्ड से गलत तरीके से कार्डधारियों के कई लोगों का नाम काट दिया गया है। पहले कुल 9 लोगों का नाम राशन कार्ड में था, लेकिन अब सिर्फ 2 लोगों को ही राशन मिल रहा है। अन्य लोगों का नाम जोड़ा तो गया है, लेकिन राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बीच इस मामले में पिछली सुनवाई में यह मामला प्रकाश में आया था कि श्री प्रसेनजीत सेन के दादा की मृत्यु हो जाने के बावजूद उनके नाम से राशन का उठाव होता रहा है। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि PDS दुकानदार उठाव दिखा रहा है, लेकिन राशन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब जब राशन ही नहीं दिया गया तो आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उनसे राशन की वसूली कैसे की जा सकती है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता का कहना है कि राशन दुकानदार उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् शिकायत दर्ज कराने के कारण डराते धमकाते हैं और उनके खिलाफ झूठा केस भी किया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि के तौर पर सुनवाई में मौजूद पणन पदाधिकारी श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव को निर्देश देता है कि वे इस आशय की पड़ताल करें कि क्या अपीलकर्ता ने अपने दादा के मृत्यु हो जाने की लिखित सूचना PDS दुकानदार या प्रशासन को दी थी अथवा नही? मृत्यु कब हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय और मृत्यु के कितने दिनों के बाद तक राशन का उठाव होता रहा। इस आशय की भी जानकारी इकट्ठा करें। प्रथम दृष्टया यह Fraud का मामला बनता है। ऐसे में आयोग पणन पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	अभ्यु
	इसके अलावे आयोग पणन पदाधिकारी को निर्देशित करता है कि शिकायतकर्ता के परिवार के कुल् सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि कार्ड में जितने लोगों का नाम दर्ज है उनको सरकार के मानक के अनुरूप राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, अथवा नहीं। सभी विषयों को समाहित करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन यदि आयोग को 15 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में प्रदत शक्तियों के अनुसार कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इस आशय के निर्देश के साथ मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–05.07.2022 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को भेजें। अभिलेख दिनांक–05.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 83

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
05.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई डिजिट्ल माध्यम से की गई। उभयपक्ष उपस्थित। डिजिटल माध्यम से उपस्थित द्वितीय पक्ष की ओर से श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, पणन पदाधिकारी, अनुभाजन क्षेत्र का कहना है कि शिकायतकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन के दादा का देहांत दिनांक–15.07.2021 को हुआ था। इसके बावजूद माह जनवरी, 2022 तक उनके नाम से राशन का उठाव होता रहा। शिकायतकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन का कहना है कि राशन उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि डीलर राशन का उठाव कर अपने पास रख लेता था। आयोग ने शिकायतकर्ता से जानना चाहा कि क्या उन्होंने दादा के देहांत की सूचना डीलर अथवा प्रशासन को दी है ? इस पर शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। आयोग लिखित प्रमाण के बिना शिकायतकर्ता की शिकायत को वैध नहीं मानता है। शिकायतकर्ता की और भी शिकायतें हैं, ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि 15 दिनों के अंदर सम्बन्धित जनवितरण प्रणाली वितरक एवं शिकायतकर्ता को एक साथ सुनवाई में बुलाएँ एवं परिवादी की समस्या को दूर करें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने निष्कर्ष से आयोग को अवगत कराएँ। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–22.07.2022 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को दें। अभिलेख दिनांक–22.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। उभयपक्ष उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम कार्यालय द्वारा आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। आदेश में यह माना गया कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार, श्री महेश साव द्वारा भी चूक की गई। जनवितरण प्रणाली दुकानदार को 10,000/– रू0 जमानत राशि ई–चालान के माध्यम से कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री प्रसेनजीत सेन का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही शिकायत है कि उनका राशन कार्ड उपलब्ध करा दी जाय। आयोग द्वारा विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निर्देश दिया गया कि यदि जनवितरण प्रणाली दुकानदार ने शिकायतकर्ता का राशन कार्ड रखा है, तो उसे आदेश दें कि वो राशन कार्ड शिकायतकर्ता को वापस कर दे। यदि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड गुम हो गया है, तो उन्हें वैकल्पिक राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाय। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	